हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.7.19 आज पत्र उप. । तारीख वादी हैं वादी का प्रार्थना पत्र O 18 R 4 CPC पेश हुआ जिरह वकील प्रतिवादी नहीं करना चाहते हैं पत्रा. वास्ते बहस अंतिम दिनांक 8.7.19 को पेश हो	अ.नि. सुवासिंह 1-7-2019
8.7.19 आज पत्र उप. । P.O. 86 अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 19.7.19 को पेश हो।	
19/7/19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्थ है। पत्रावली दिनांक 24.7.19 को पेश हो।	
24.7.19 वादी अभि. उप. । बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 5.8.19 को पेश हो।	
5-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 381/2018

1 सुवासिंह पुत्र लिक्षमणसिंह } जाति जटसिख निवासी मलकोका तहसील व जिला 2 लिक्षमणसिंह पुत्र दीवानसिंह } हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 बन्तासिंह } पिसरान नारायन पुत्र पुरखा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील व
2 पटवारी } जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 बेगा पुत्र पुरा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)।
4 सांवरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी मकान नम्बर डी 62–63–64 न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5 प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
6 प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा जी.एन. रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता वादीगण
2. राज पैराकार प्रतिवादी संख्या 7

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 05.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक नम्बर 13 जे.आर.के. खाता संख्या 35/31 पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2 ता 8 व पत्थर नम्बर 68/245(2) किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 2.530 हैक्टर मय गैर मुमकिन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नारायन तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम साझे खाते में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक नम्बर 13 जे. आर.के. खाता संख्या 35/31 सम्वत 2073 से 76 संलग्न वाद पत्र है।

प्रश्नगत कृषि भूमि चक नम्बर 13 जे.आर.के. में 2.783 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नारायन पुत्र पुरखा के नाम से तथा 2.707 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से कुल 5.490 हैक्टर मय गैर मुमकिन साझे खाते में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नारायन ने अरसा पूर्व अपना 2.783 हैक्टर रकबा अन्य काश्तकारान को बेचान कर दिया जो उनके नाम से अन्य खातों में पैमुद हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा ने अपना हिस्सा वादी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. दीवानसिंह को बेचान कर दिया जो प्रश्नगत खाता संख्या 35/31 में वादीगण के नाम व कब्जा काश्त में लगातार चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता नारायन पुत्र पुरखा द्वारा बेचान किया गया रकबा क्रेतागण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर अलग खाता में पैमुद हो गया लेकिन मूल खाता से नारायन पुत्र पुरखा का नाम नही हटाया गया व प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा द्वारा बेचान किया गया रकबा की प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के नाम से

लगातार 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

लगातार चली आ रही है। लेकिन सहवन से वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है, जिससे वादीगण के हक व अधिकार नाहक ही प्रभावित होते है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नारायन पुत्र पुरखा व प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 35/31 से हटवाने का कानूनी मुश्तहक है।

वादीगण ने प्रश्नगत कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा अरसा दराज से कर रखा है, जिसके मुताबिक खाता विभाजन करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को कहा व स्व. नारायन पुत्र पुरखा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कहा तो कुछ दिन तो आजकल–आजकल करते रहे आखिर आज से दस रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 मुकाम हनुमानगढ़ में कतई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

प्रश्नगत कृषि भूमि जो खाता संख्या 35/31 में कुल 2.530 हैक्टर दर्ज कागजात है, पर वादीगण का हमेशा से लगातार कब्जा काश्त रहा है, जिसमें से वादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा मे से 0.044 हैक्टर रकबा का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 को किया है जो सांझे खाते में उनके नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक बाहमी बंटवारा वादीगण का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी संख्या 1 सुबासिह के कब्जा काश्त मे मुताबिक बाहमी बंटवारा कृषि भूमि है :– चक नम्बर 13 जे.आर.के खाता संख्या 35/31 पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.171 व 0.038 गैर मुमकिन, 8/.253 पत्थर नम्बर 68/245 (2) किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253 कुल 1.221 हैक्टर मय गैर मुमकिन।

(ख) वादी संख्या 2 लिक्षमणसिह के कब्जा काश्त मे मुताबिक बाहमी बंटवारा कृषि भूमि है :– चक नम्बर 13 जे.आर.के खाता संख्या 35/31 पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7 प्रत्येक 0.253 कुल 1.265 हैक्टर मय गैर मुमकिन

प्रश्नगत कृषि भूमि चक नंम्बर 13 जे.आर.के. खाता संख्या 35/31 पत्थर नम्बर 67/245(1) किला नम्बर 2 ता 8 पत्थर नम्बर 68/245 (2) किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 2.530 हैक्टर वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी जिसमें से 0.044 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नारायन पुत्र पुरखा व प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज चला आ रहा है जिसे हटाने की घोषणा करवाकर मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। प्रश्नगत कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता नारायन पुत्र पुरखा व प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा का अनावश्क नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से वादीगण को प्रश्नगत भूमि रहन रखने व बेचान करने में परेशानी आती है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का सांझा खाता होने से सिंव बट व लगान को लेकर आपस में तनाजा रहता है। इसलिए वादीगण घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने के कानूनी मुश्तहक है।

अर्जीदावा खाता विभाजन का होने तथा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के रहन होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 भू–स्वामी होने के कारण फरीक दावा बनाया गया है ताकि अर्जीदावा में कोई नूक्स आरिज न हो। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो समुचित न्यायशुल्क पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत है।

लिहाजा अर्जीदावा पेशकर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(क) करार दिया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक नंम्बर 13 जे.आर.के. खाता संख्या 35/31 में वर्णित कुल 2.530 हैक्टर मय गैर मुमकिन में से नारायन पुत्र पुरखा 2.783 हैक्टर व बेगा पुत्र पुरा 2.707 हैक्टर का नाम हटाया जावे।

(ख) बाद इस्तकरार हक वादीगण का मुताबिक कब्जा काश्त वाद पत्र के पैरा संख्या 5 क एवं ख में वर्णितानुसार खाता एवं लगान अलग–अलग कायम किया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण कानूनन व इंसाफन प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की विधिवत तलबी होनें के उपरान्त भी हाजिर नहीं आनें के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 7 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र की दफा 1 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है, 2 मुताबिक रिकार्ड अस्वीकार है। 3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व पटवारी हल्का डबल पेमा की रिपोर्ट दिनांक 03.04.2019 के अनुसार पटवर मण्डल के चक नम्बर 13 जे.आर.के. जमाबन्दी खाता संख्या 35 सम्वत् 2072–2076 में पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2 ता 8/1.771 हैक्टर पत्थर नम्बर 68/245 (2) किला नम्बर 1, 10, 11/.759 हैक्टर योग 2.530 हैक्टर नहरी मय रास्त नारायण पुत्र पुरखाराम 2.783 हैक्टर बेगा पुत्र पुरा 2.707 हैक्टर जाति भाट निवासी डबली फतेह मोहम्द सूबासिंह पुत्र लिछमण 1.221 हैक्टर लिछमण सिंहपुत्र दीवानसिंह 1.265 हैक्टर जाति जटसिख निवासी मलकोका सावरमलपुत्र रामेश्वरलाल 0.044 हैक्टर जाति सुथार निवासी डी 62, 63, 64 न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन खातेदार रहन लक्ष्मण सिंह ओ.बी.सी. बैक पक्का सारणा सावरमल बैक आफ बड़ौदा शाखा जीएन रोड़ हनुमानगढ़ जक्शन के दर्ज है।

मुताबिक मौका जांच उक्त रकबा निम्नानुसार काश्त किया जाता है :–

1 सुबासिह पुत्र लिछमण सिंह जाति जटसिख निवासी मलकोका खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.171 व 0.038 गैर मुमकिन, 8/.253, 68/245 (2) किला नम्बर 1, 10, 11/.759 हैक्टर योग 1.221 हैक्टर मय गैर मुमकिन।

2 लिक्षमण सिह पुत्र दीवानसिंह जाति जटसिख निवासी मलकोका खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7/1.265 योग 1.265 हैक्टर नहरी मय रास्ता

3 सांवरमल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी डी/62, 63, 64 सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.044 योग 0.044 हैक्टर नहरी की हद तक स्वीकार शेष लाईल्मी होनें के कारण अस्वीकार है।

वाद पत्र की दफा 4 ता 6 अस्वीकार, 7 स्वीकार है, 8 कानूनी है वाद पत्र के अनुतोष क ता ग वादीगण के सबुत एवम् साक्ष्य से साबित होनें है जो वादीगण से साबित करवाया जावे।

अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र वादीगण राज्य हीतो को सुरक्षित रखते हुए साक्ष्य से साबित होनें के उपरान्त निस्तारण फरमाया जावे।

वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जानें के कारण किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात कायम नहीं की गई गई वादी की और से वादी संख्या 1 सुबासिंह द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

लगातार 4

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें से जिरह करना शुन्य पाये जानें पर एक पक्षीय बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 मुताबिक शतराजस्व अभिलेख आनें हिस्सा पर काबिज है शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होनें से तथा मौका पर भूमि नहीं होने से वाद में वर्णित खाता अपवादीत हो चुका है, जिसको दुरूस्त किया जाना भी नितान्त आवश्यक है। अतः वाद वादीगण स्वीकार जाकर प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि विवादति आराजी चक 13 जे.आर.के के खाता संख्या 35/31 मे कुल भूमि 2.530 हैक्टर है परन्तु काश्तकारान के हिस्सा अनुसार खाते का योग 8.020 हैक्टर बनता है इस कारण खाता अपवादित खातों की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार की योजना DILRMP के अन्तर्गत अपवादित खातो का निस्तारण किया जाकर राजस्व अभिलेखो को आन लाईन किया जाना है जिस हेतु अपवादित खातो का निस्तारण किया जाना भी आवश्यक है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त जबाब के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बन्तासिंह, पटवारी के पिता नारायन पुत्र पुरखा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील हनुमानगढ़ व प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील हनुमानगढ़ का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत कलमजन किया जाकर वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 2 की उनके वर्तमान हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि चक 13 जे.आर.के के खाता संख्या 35/31 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाकर जाता है :–

1 सुबासिह पुत्र लिछमण सिंह जाति जटसिख निवासी मलकोका खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.171 व 0.038 गैर मुमकिन, 8/.253, 68/245 (2) किला नम्बर 1, 10, 11/.759 हैक्टर योग 1.221 हैक्टर मय गैर मुमकिन।

2 लिक्षमण सिह पुत्र दीवानसिंह जाति जटसिख निवासी मलकोका खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7/1.265 योग 1.265 हैक्टर नहरी मय रास्ता

3 सांवरमल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी डी/62, 63, 64 सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.044 योग 0.044 हैक्टर नहरी।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

7

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 381/2018

1 सुबासिंह पुत्र लिक्षमणसिंह
2 लिक्षमणसिंह पुत्र दीवानसिंह } जाति जटसिख निवासी मलकोका तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 बन्तासिंह
2 पटवारी } पिसरान नारायन पुत्र पुरखा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 बेगा पुत्र पुरा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)।
4 सांवरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी मकान नम्बर डी 62–63–64 न्यू सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5 प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
6 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जी.एन. रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

वादीगण की और से श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें तथा प्रतिवादी संख्या 7 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 05.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त जबाब के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बन्तासिंह, पटवारी पिसरान नारायन पुत्र पुरखा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील हनुमानगढ़ व प्रतिवादी संख्या 3 बेगा पुत्र पुरा जाति भाट निवासी मलकोका तहसील हनुमानगढ़ का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत कलमजन किया जाकर वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 4 की उनके वर्तमान हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि चक 13 जे.आर.के के खाता संख्या 35/31 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाकर जाता है :–

1 सुबासिह पुत्र लिछमण सिंह जाति जटसिख निवासी मलकोका खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.171 व 0.038 गैर मुमकिन, 8/.253, 68/245 (2) किला नम्बर 1, 10, 11/.759 हैक्टर योग 1.221 हैक्टर मय गैर मुमकिन।
2 लिक्षमण सिह पुत्र दीवानसिंह जाति जटसिख निवासी मलकोका खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7/1.265 योग 1.265 हैक्टर नहरी मय रास्ता
3 सांवरमल पुत्र रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी डी/62, 63, 64 सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन खातेदार पत्थर नम्बर 67/245 (1) किला नम्बर 2/.044 योग 0.044 हैक्टर नहरी।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	[illegible]	[illegible]	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 10:16:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: